भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2541

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण के लिए निधि

2541. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल संरक्षण के प्रयोजनार्थ पचास मिलियन से अधिक शहरों के लिए 'चैलेंज फंड' से आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी सेवा स्तर के मानदंडों को पूरा करने के लिए कितनी प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या इन शहरों में जल संरक्षण के संबंध में कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग ने सेवा स्तर के बेंचमार्क में सुधार के लिए 50 मिलियन-प्लस शहरों के लिए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवार्ड अवधि के लिए 26,057 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह अनुदान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति, जल संरक्षण और जल रिसाइक्लिंग में मिलियन-प्लस शहरी समूहों/शहरों के प्रदर्शन पर आधारित है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक मिलियन-प्लस शहरों को 15 वें वित्त आयोग अनुदान पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत उपयोगिता रिपोर्टों के अनुसार, पेयजल आपूर्ति, जल रीसाइक्लिंग, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर संकेतकों में सुधार के लिए कुल आवंटन का 11.24% अर्थात 2,930.43 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वर्षा जल संचयन के लिए कोई सेवा स्तर संकेतक नहीं है।

(ग) और (घ): मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड की परिव्यय अवार्ड अवधि अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक इस शर्त के साथ है कि प्रस्तावित परियोजना को अवार्ड अवधि के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए। इससे शहरों में पडे प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है।

*****